उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(जैवविविधता अधिनियम, 2002, भारत सरकार, के अन्तर्गत गठित स्वायत्त, संवैधानिक / नियामक संस्था)

पत्रांकः 799 / 4-9 (13) दिनांकः 16-03-2016

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड की सत्रहवीं बैठक दिनॉक 16.02.2016 के एजेण्डा बिन्दु संख्या–8 पर उल्लिखित "जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014" (Guidelines on Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Benefits Sharing Regulations, 2014) के अनुपालन हेतु विनियम के विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही के लिए पारित निर्णय के कम में निम्नवत् कियान्वयन सम्बन्धी निदेश जारी किये जाते हैं:

विनियम–2

1. उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा इस प्रकिया में निर्धारित प्रारुप के साथ संलग्न किये जाने वाले आवेदन शुल्क रू0 2500/– (दो हजार पॉच सौ) मात्र को संशोधित कर रू0 10,000/– (दस हजार) मात्र किया जाता है।
2. उ0प्र0 राज्य जैवविविधता नियमावली, 2010 में उल्लिखित फार्म नं0–I को विनियम (Regulation) के लिये भी लागू समझा जाये।

विनियम–3(1)

1. इसमें उल्लिखित सीमा 1–3 प्रतिशत तथा 3–5 प्रतिशत को अधिकतम श्रेणी में निर्धारित किया जाता है अर्थात् 1–3 प्रतिशत के स्थान पर अधिकतम 3 प्रतिशत तथा 3–5 प्रतिशत के स्थान पर अधिकतम 5 प्रतिशत अंतरिम रूप से निर्धारित किया जाता है।

विनियम–3(2) व 3(3)

1. इस श्रेणी में उल्लिखित सीमा न्यूनतम 3 प्रतिशत व न्यूनतम 5 प्रतिशत को अंतरिम रूप से 3 प्रतिशत व 5 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

विनियम–10(1) (2)

1. इस श्रेणी में उ0प्र0 राज्य जैवविविधता नियमावली, 2010 में उल्लिखित फार्म नं0–I को प्रयोग में लाया जायेगा।
2. उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा इस प्रकिया में निर्धारित प्रारुप के साथ संलग्न किये जाने वाले आवेदन शुल्क रू0 2500/– (दो हजार पॉच सौ) मात्र को संशोधित कर रू0 10,000/– (दस हजार) मात्र किया जाता है।

विनियम–14

1. इस श्रेणी में जहाँ–जहाँ नेशनल बायोडाईवर्सिटी अथॉरिटी अंकित है, उसे उ0प्र0 राज्य के कार्यक्षेत्र में लागू किये जाने के लिए राज्य जैवविविधता बोर्ड से प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. Benefits Sharing को विनियम 2, 3, 4 में केवल Monetary Benefit के रूप में ऑकलित किया जाये।

   Non Monetary Benefit को Monetary Calculation पर आधारित किया जाये तथा इस धनराशि के आधार पर क्रिया–कलापों का कियान्वयन किया जाय।

विनियम–15

1. इस श्रेणी में प्राप्त बेनीफिट का 5 प्रतिशत उ0प्र0 राज्य जैवविधिता बोर्ड द्वारा प्रशासनिक व्यय के लिए उपयोग में लाया जायेगा तथा शेष धनराशि उल्लिखित स्टेक होल्डर्स के मध्य वितरित किया जायेगा।

विनियम–16

1. इस श्रेणी में उल्लिखित Processing of Application की प्रक्रिया वही रहेगी जो नेशनल बायोडाईवर्सिटी अथॉरिटी द्वारा अपनायी जाती है।

(पवन कुमार)
सचिव।

पूर्वी विंग, तृतीय तल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226 010

फोन नं0: 0522 2306491, 4006746, फैक्स नं0: 0522 4006746,

E-mail : upstatebiodiversityboard@gmail.com, Website: http://www.upsbdb.org